फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री अशोक कुमार पिता भंवर लाल जैन निवासी किशोरनगर, राजनगर, निदेशक मूनलाईट मार्बल प्रा. लि. बडारडा तह0 व जिला राजसमंद जरिये अधिवक्ता मुकेश तलेसरा, राजसमंद

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर, राजसमन्द

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 12/2020

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 28.01.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांकः— प.1 ( )सू0अ0,05/2020/76—77 दिनांक 24.01.2020 से रिपोर्ट प्रेषित होकर प्राप्त हुई हैं। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री अशोक कुमार पिता भंवर लाल जैन निवासी किशोरनगर, राजनगर, निदेशक मूनलाईट मार्बल प्रा. लि. बडारडा तह0 व जिला राजसमंद जरिये अधिवक्ता मुकेश तलेसरा, राजसमंद के द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2019 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 20.12.2019 व इस अनुभाग को 20.12.2019 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा आर.टी.आई आवेदन कर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द के प्रकरण संख्या 58/2019 सरफेशी एक्ट युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राजसमन्द बनाम मैसर्स मुनलाईट मार्बल प्रा0लि0 निर्णय दिनांक 10.12.2019 की पत्रावली की सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रतियॉ चाही गई है। प्रार्थी को आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2019 के क्रम में कार्यालय द्वारा सूचित किया गया कि न्यायालय में पंजिबद्व प्रकरण दो पक्षकारों के मध्य निर्णित होता है और कोर्ट मेन्युल के अन्तर्गत प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र पर प्रकरण में जो भी मूल प्रतियॉ होती है वह प्रतिलिपि एक्ट के अनुरूप दी जा सकती है जिन्हे आप प्रतिलिपि एक्ट के तहत नियमानुसार प्राप्त कर सकते है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के प्रकरण की सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रतियॉ चाही गई है। जो कोर्ट मेन्युल के नियमो के परिपेक्ष में नकल/सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। इस कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांक प.1 ( )सू0अ0,05/2019/946 दिनांक 30.12. 2019 से प्रार्थी को सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्टानुसार न्यायालय में पंजिबद्व प्रकरण दो पक्षकारों के मध्य निर्णित होता है और कोर्ट

M

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मेन्युल के अन्तर्गत प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र पर प्रकरण में जो भी मूल प्रतियॉ होती है वह प्रतिलिपि एक्ट के अनुरूप दी जा सकती है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के स्वयं पक्षकार होने से यह न्यायालय उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली देना न्यायोचित समझता हैं। अतः उक्त अपील स्वीकार कर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को प्रकरण संख्या 58/2019 सरफेशी एक्ट युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राजसमन्द बनाम मैसर्स मुनलाईट मार्बल प्रा0लि0 निर्णय दिनांक 10.12.2019 की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल जारी करें।

उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय ... कलक्टर
राजसमन्द (राज.)